

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामिल।

सेशन केस संख्या- 1213/2026

राज्य-प्रति-दीपक कुमार उर्फ गोलू आदि।

मु०अ०सं०-41/2026

धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम, एवं

303(2), 317(2) बी०एन०एस०

थाना गढ़ीपुख्ता, जिला शामिल।

आरोप

मैं **सुरेन्द्र कुमार राय**, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/विद्युत अधिनियम, शामिल एतद्वारा आप अभियुक्तगण 1- दीपक कुमार उर्फ गोलू, 2-फरमान, 3-अप्सार, 4-मुर्शीद, 5-आकाश, 6-देवेन्द्र गुप्ता, 7-नितिश कुमार, 8-नीरज, 9-जूगनू व 10-इन्द्रजीत को निम्न लिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 6/7.04.2026 को, समय अर्धरात्रि में, बहद स्थान जंगल ग्राम भैंसवाल थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामिल में आप अभियुक्तगण ने मिलकर बन्द पड़ी 33 केवी लाइन का लगभग 490 मीटर डग कंडक्टर चोरी किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आप अभियुक्तगण कि गिरफ्तारी की गई तथा आपके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा 137 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने मिलकर ग्राम भैंसवाल के जंगल में बन्द पड़ी 33 केवी लाइन का लगभग 490 मीटर डग कंडक्टर चोरी किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया जो **बी० एन० एस० की धारा 303(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 4- यह कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आप अभियुक्तगण कि गिरफ्तारी की गई तथा आपके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा 317(2) **बी० एन० एस०** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के लिए आप अभियुक्त का विचारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक :20.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधि०., शामिल।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

दिनांक :20.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधि०., शामिल।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामिल।

सेशन केस संख्या- 1213/2026
राज्य-प्रति-दीपक कुमार उर्फ गोलू आदि।
मु०अ०सं०-41/2026
धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम, एवं
303(2), 317(2) बी०एन०एस०
थाना गढ़ीपुख्ता, जिला शामिल।

दिनांक: 20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण दीपक कुमार उर्फ गोलू, फरमान, अफ्तार, मुर्शीद, आकाश, देवेन्द्र गुप्ता, नितिश कुमार, नीरज, जूगनू व इन्द्रजीत जेल से उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

आरोप के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा उपलब्ध पत्रावली का सम्यक परीशीलन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने हेतु पत्रावली एवं केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जबकि अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम एवं 303(2), 317(2) बी०एन०एस०, का आरोप बनाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम एवं 303(2), 317(2), बी०एन०एस०, का आरोप बनाया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 03.08.2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन नियत तिथि हेतु तलब हो।

(सुरेन्द्र कुमार राय)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि०., शामिल।